418

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 29, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री हरिसेवक मिश्र, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, का श्रम मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-3.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दयाल सिंह तुमराची, सदस्य, मण्डला जिले के वन परिक्षेत्र बरेला में मजदूरों को निर्धारित दर से मजदूरी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कमल पटेल, मनोहरलाल राठौर, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा नगर में अपराधियों द्वारा आतंक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर वन मण्डल में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले के भैंसदेही भू-संरक्षण कार्यालय में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 138, बसना से निर्वाचित सदस्य श्री महेन्द्र बहादुर सिंह को नवम्बर, 1997 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सभापति, प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) लाल विजयप्रताप सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे --

"सदन गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम गधेरी से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री रंजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले के -
(क) ग्राम कुलांसकला के पास कुलासी नदी पर पुल बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम कुलांसकला से विजलोन एवं ग्राम सिकन्दरगंज से कुलांसकला तक सड़क बनाये जाने,

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम बेलरगोंदी के कृषकों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(4) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) ग्राम चन्देरी से भानपुर पचेर तक सड़क बनाये जाने, तथा
(ख) खरगापुर नगर में यूनानी चिकित्सालय खोले जाने,

- 2-

(5) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के -
(क) खरसिया-चन्द्रपुर, धुरकोट-चन्द्रपुर एवं सक्ती-टुन्ड्री रोड की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम टुन्ड्री में सहायक शल्य चिकित्सक का पद भरे जाने,

(6) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम खामी से मोटगांव तक सड़क की मरम्मत कराने एवं बीच के नालों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने, तथा

(7) श्री गोविन्द मिश्र, सदस्य, सतना जिले के ग्राम चौबेपुर में 22 बिस्तरों वाला चिकित्सालय बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

(1) श्री कान्तिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विगत माहों में किये गये जन हितैषी एवं कल्याणकारी कार्यों के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री शिव नेताम, वन मंत्री, वन विभाग द्वारा विगत माहों में किये गये जन हितैषी एवं कल्याणकारी कार्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 40 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 42 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

2 घन्टे (शेष 1 घन्टा 30 मि.)

(4) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, द्वारा किये गये इस प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 38 सन् 1997) पर विचार किया जाय - चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 39 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, लोक आयुक्त संगठन का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त के पन्द्रहवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रुपान्तर - पर चर्चा.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 नवम्बर, 1997